न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 35/2022

राजस्व वाद :- अन्तर्गत धारा 88,91,92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
2. सुखराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
3. रतनाराम पुत्र अर्जुनराम फौत के कायम मुकाम

3/1 बजरंगलाल पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप

3/2 रामनिवास पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप

3/3 पूजा पुत्री रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप

वादीगण......

बनाम

1. तेजाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
2. बंशीलाल पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
3. अर्जुनराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
4. केवली पत्नी बंशीलाला जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
5. पुष्पा पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
6. बगतू पत्नी मोहनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
7. लिछमी पत्नी रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
8. एस.बी.आई बै शाखा कानसिंह की सिड जरिये शाखा प्रबन्धक
9. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.......

उपस्थित :-

1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 7

निर्णय

दिनांक:- 18.12.2023

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,91,90,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 1 एक से 3 तीन की कदीमी पैतृक कास्त भूमि खेत खसरा संख्या 415/1 रकबा 103 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 464/1 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा, नवसृजित राजस्व ग्राम कलराबा बेरा, खसरा संख्या 565/1 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा ग्राम रामचीमानाडा, खसरा संख्या 182 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 183/1 रकबा 58 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 208/1 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा नवसृजित राजस्व ग्राम श्री सुरपुरा

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

तहसील बाप में स्थित है जमाबंदी चौसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न वाद पेश है। (आगे वाद में इसे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा।) वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पीढ़ी दर पीढ़ी कदीमी पैतृक सहकास्तकारी की है। वादग्रस्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध मूल खसरा एवं मूल रकबा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक एवं 2 दो के पिता प्रतिवादी संख्या 3 तीन अर्जुनराम पुत्र भींयाराम और उनके सहकास्तकार बीरबलराम पुत्र धीमाराम व चैनाराम पुत्र बलूराम के साथ सह कास्तकारी में पैमाईश होकर कुल 834 बीघा 12 बिस्वा, जबकि खसरा संख्या 182 वादीगण के पिता अर्जुनराम अकेले के नाम बाद पैमाइश मूल राजस्व ग्राम मालमसिंह की सिड तहसील फलोदी में दर्ज अभिलेख किया गया। सहखातेदार बीरबलराम, अर्जुनराम, चैनाराम के बीच सह कास्तकारी भूमि का विभाजन होने पर 1/3 हिस्सा अर्जुनराम पुत्र भींयाराम को विभाजन में मिला। खसरा संख्या 182 अर्जुनराम के नाम एकल खातेदारी (Sole Tenancy) के रूप में दर्ज अभिलेख रहा। सहकास्तकारी की भूमि के विभाजन के बाद वादीगण के पिता के नाम रकबा 297 बीघा 3 बिस्वा, व खसरा सं. 182 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज अभिलेख रही। भू-प्रबन्ध के बाद तैयार प्रथम जमाबंदी चौसाला संवत् 2014 से 2017 एवं 2022 से 2029 पेश है। वादीगण के पिता के नाम वादग्रस्त भूमि विभाजन से खसरा संख्या 415/1 रकबा 103 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 464/1 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 565/1 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 183/1 रकबा 58 बीघा 1 बिस्वा अलग खाता में दर्ज होने के बाद खसरा संख्या 415/1 रकबा 103 बीघा 8 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एक तेजाराम के नाम और खसरा संख्या 208/1 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि व खसरा संख्या 464/1 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 2 दो बंशीलाल के नाम तथा शेष अपने स्वयं के नाम रखते हुए वादग्रस्त भूमि का विभाजन लिखाकर तहसीलदार फलोदी के समक्ष प्रस्तुत कर सरासर गलत एवं गैर कानूनी तरीके से विधि के विपरीत तसदीक कराकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 एक व 2 दो के नाम विभाजन नामान्तरकरण सं. 17/143 के ग्राम मालमसिंह की सिड के जरिये गलत दर्ज अभिलेख करा दी गई। तहसीलदार फलोदी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रतिवादी सं. 3 तीन अर्जुनराम के गलत एवं गैर कानूनी व राजस्व विधि तथा नियमों के विरूद्ध लिखित विभाजन को तसदीक किया। तहसीलदार (भूमिधारी) को अभिलेख में सहकाश्तकार

(Recorded Co-Tenant) के मध्य ही विभाजन तसदीक करने का अधिकार होने के बावजूद विभाजन को गलत तसदीक किया। पैतृक भूमि में पिता के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में नियमित घोषणा एवं विभाजन के वाद के जरिये ही पुत्र अपने हिस्से की घोषणा करवाकर ही विभाजन करवा सकता है। प्रतिवादी सं. 3 तीन अर्जुनराम द्वारा अपने 5 पांच पुत्रों में से केवल 2 दो पुत्रों के नाम तहसीलदार से तसदीक करवाया गया विभाजन कानून में गलत तथा शुरू से ही प्रभाव शून्य (Abinitio Void and In effective) है। वादीगण विभाजन को अपने खातेदारी हकूकों के विरूद्ध प्रभावहीन घोषित करवाकर विभाजन के नामान्तरकरण सं. 17/143 ग्राम मालमसिंह की सिड को निरस्त करवाने और वादीगण वादग्रस्त पैतृक भूमि में नवसृजित ग्राम कलराबा बेरा, श्री सुरपुरा एवं रामचीमानाडा में हिन्दू मिताक्षरा विधि के माफिक जन्म से ही हकूक प्राप्त होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के जायज हकदार है। वादग्रस्त भूमि कदीमी पीढ़ियों से पैतृक होने और वादीगण को जन्म से ही हक हिस्सा व हित पैदा हो जाने से, प्रत्येक वादीगण अपना 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाने तथा वादग्रस्त भूमि का विभाजन (Mets and Bounds) में करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 एक ता 3 तीन प्रत्येक का 1/6 हिस्सा अभिलेख में दर्ज करवाने के जायज हकदार है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 3 तीन के साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में निरन्तर चले आने के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 एक ने वादीगण को खेत खसरा सं. 415/1 रकबा 103 बीघा 8 बिस्वा भूमि में काश्त करने से मना कर रोकने का प्रयास करने लगे तो, वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 एक व 2 दो को मौतबिर व्यक्तियों के समक्ष समझाईश करवाई कि जो भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 एक व 2 दो के नाम विभाजन के जरिये दर्ज अभिलेख चली आ रही है। वह विभाजन विधि के अनुसार गलत हुआ है, विभाजन अवैधानिक और कानून में शून्य है, जिस पर प्रतिवादी सं. 2 दो ने विभाजन गलत मानकर अपने नाम गलत विभाजन से दर्ज वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 208/1 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा ग्राम श्री सुरपुरा में से 238/1229 हिस्सा वादी सं. 3 तीन रतनाराम को 476/1229 हिस्सा प्रतिवादीनी सं. 5 पांच व 6 छः को बख्शीस करवा दी तथा नामान्तरकरण के जरिये वादी सं. 3 तीन एवं प्रतिवादीनी सं. 5 पांच एवं 6 छः के नाम खातेदारी में दर्ज हो गये। वादी सं. 1 एक मोहनराम की प्रतिवादीनी सं. 6 छः बगतू पत्नि है वादी सं. 2 दो सुखराम की प्रतिवादीनी सं. 5 पांच पुष्पा पत्नि है वादीगण सं. 1 एक एवं 2 दो की पत्नि के नाम प्रतिवादी सं. 2 दो के द्वारा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बख्सीसनामा से रखी जाने वाली भूमि को वादीगण के हिस्से में समायोजित किया जाकर Metes and Bounds में बंटवाड़ा करवाया जावे। विकल्प में प्रतिवादीनी सं. 5 पांच एवं प्रतिवादीनी सं. 6 छः एवं वादी सं. 3 तीन रतनाराम के नाम प्रतिवादी सं. 2 दो के द्वारा खसरा सं. 208/1 रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा में से बक्सीसनामा से नामान्तरकरण सं. 354 ग्राम श्री सुरपुरा के जरिये खातेदारी की परिवर्तित प्रविष्टि को वादीगण के जायज हकूकों के विरूद्ध शुरू से ही प्रभाव शून्य घोषित करवाया जाकर प्रत्येक वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाई जाकर 1/6 हिस्सा का बंटवाड़ा Metes and Bounds में करवाया जावे.प्रतिवादी सं. 3 तीन अर्जुनराम ने खसरा सं. 182 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादीनी सं. 4 चार केवली पत्नि बंशीलाल को अपने हिस्से से अधिक, वादीगण के हिस्से सहित गलत विक्रय कर हस्तान्तरण करवाया है। प्रतिवादी सं. 3 तीन को अपने 1/6 हिस्सा तक ही पैतृक भूमि का हिस्सा विक्रय करने का जायज हक हासिल था। वादीगण विक्रय विलेख बहक प्रतिवादी सं. 4 चार के पक्ष में गलत एवं गैर कानूनी तरीके से हिस्से से अधिक विक्रय पत्र को अपने जायज हकूकों के विरूद्ध शुरू से ही शून्य करार घोषित करवाकर खसरा सं. 182 में प्रत्येक वादीगण अपना 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाने के हकदार है। प्रतिवादी सं. 3 तीन के द्वारा खेत खसरा सं. 565/1 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा का बख्सीसनामा भी वादी सं. 3 तीन रतनाराम और प्रतिवादीनी सं. 7 लिछमी पत्नि रतनाराम को सम्पूर्ण रकबा का बख्सीसनामा कर अपने 1/6 हिस्सा से अधिक हिस्सा का बख्सीसनामा गलत एवं गैर कानूनी तरीके से किया है प्रतिवादी सं. 3 तीन को अपने 1/6 हिस्से तक ही बख्सीस करने का हक हासिल होने के बावजूद वादीगण के हिस्से सहित बख्सीस कानूनन गलत एवं विधि विरूद्ध है वादीगण खसरा सं. 565/1 के बख्सीसनामा को प्रतिवादी सं. 3 तीन के 1/6 हिस्सा से अधिक बख्सीसनामा को अपने हकूकों के विरूद्ध शुरू से ही प्रभाव शून्य घोषित करवाने के हकदार है वादीगण प्रत्येक अपने 1/6 हिस्सा की घोषणा वादग्रस्त भूमि के खसरान में करवाकर Metes and Bounds में बंटवाड़ा करवाने के हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 एक तेजाराम ने वादीगण को दिनांक 5-7-2021 को खसरा सं. 415/1 ग्राम कलराबा बेरा में काश्त करने से मना कर धमकी दी कि यह खेत मेरे अकेले के नाम है तुम्हारा कोई हक हिस्सा व हित नहीं है, इस वर्ष तुम्हें काश्त नहीं करने दूंगा, अगर काश्त कर ली तो तुम्हारी काश्त के ऊपर अपनी काश्त कर फसल नष्ट भ्रष्ट कर कब्जा से बेदखल करूंगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण की इस

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

धमकी पर सभी प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात को वादग्रस्त पैतृक काश्त भूमि के पूर्व के गलत बंट्वाड़े को निरस्त करवाकर नये सिरे से अभिलेख दुरूस्त करवाकर बंट्वाड़ा करवाने के लिए कहा, जिस पर प्रतिवादी सं. 1 एक ता 7 सात ने भी मना कर दिया जाने पर वादीगण का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंट्वाड़ा का पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व प्रतिवादी संख्या 3 का जवाब पेश कर बताया कि माफिक वाद वादीगण डिक्री कर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाया जाने पर प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निम्नानुसार है -

वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उनके मध्य आपसी समझाईस व सहमति से राजीनामा हो गया है। वादग्रस्त पैतृक भूमि का पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 अर्जुनराम ने अपने 2 पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम व प्रतिवादी 2 बंशीलाल के नाम ही बंट्वाड़ा में वादग्रस्त भूमि देकर शेष 3 पुत्रों वादीगण को छोड़ दिये जाने से कालान्तर में पांचों पुत्रों के परिवार अलग अलग होने पर बराबर हिस्सा बंट में नहीं आने को लेकर विवाद होने पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया, चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के भाई बन्धु कुटम्बजन ने समझाईश कर प्रतिवादी संख्या 3 अर्जुनराम के सभी पुत्रों के हिस्से में बराबर भूमि न्यायहित को देखते हुए रखी जाने की बात पर प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम व प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम के नाम पूर्व में बंट्वाड़ा में रखी गई खसरा नम्बर 415/1 रकबा 16.7378 हैक्टेयर, वर्तमान राजस्व ग्राम कलराबा बेरा में से रकबा 2.5495 हैक्टेयर वादी संख्या 1 मोहनराम के हिस्से में तथा रकबा 2.5495 हैक्टयेर वादी संख्या 2 सुखराम के हिस्से में और रकबा 2.9565 हैक्टेयर वादीगण संख्या 3/1 से 3/3 व प्रतिवादिनी संख्या 7 लिछमी पत्नी रतनाराम के हिस्से में पारिवारिक राजीनामा से रखी जानी एवं इस खसरा की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम की खातेदारी में यथावत रखी जाने का वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपनी स्वेच्छा से

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बिना किसी दबाव और प्रलोभन के सहमति प्रदान कर राजीनामा किया है। खसरा संख्या 415/1 का विभाजन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के मध्य संलग्न नजरी नक्शानुसार जरिए राजीनामा किया है। शेष वादग्रस्त भूमि के खसरान् की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखी जाने पर अपनी सहमति प्रदान कर राजीनामा किया है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 7 ने राजीनामा पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा कलराबा बेरा के खसरा नम्बर 415/1 रकबा 16.7378 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में से वादी संख्या 1 को रकबा 2.5495 हैक्टयर, वादी संख्या 2 को रकबा 2.5495 हैक्टेयर, वादीगण संख्या 3/1 ता 3/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को 2.9865 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
2. सुखराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
3. रतनाराम पुत्र अर्जुनराम फौत के कायम मुकाम

3/1 बजरंगलाल पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
3/2 रामनिवास पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
3/3 पूजा पुत्री रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप

वादीगण......

बनाम

01.तेजाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
02.बंशीलाल पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
03.अर्जुनराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
04.केवली पत्नी बंशीलाला जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
05.पुष्पा पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
06.बगतू पत्नी मोहनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
07.लिछमी पत्नी रतनाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
08.एस.बी.आई बै शाखा कानसिंह की सिड जरिये शाखा प्रबन्धक
09.तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.......

दावा बाबत् धारा 88,53,92ए,188 आर.टी.एक्ट **मुकदमा संख्या :- 109/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व मदनसिंह भाटी, राजेन्द्रसिह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि मौजा कलराबा बेरा के खसरा नम्बर 415/1 रकबा 16.7378 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में से वादी संख्या 1 को रकबा 2.5495 हैक्टयर, वादी संख्या 2 को रकबा 2.5495 हैक्टेयर, वादीगण संख्या 3/1 ता 3/3 व प्रतिवादी संख्या 7 को 2.9865 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा नीचे

मुतालिक बाबत्

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/12/2023 को जारी की गई।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।